मथुरा पुलिस

दिनांक 03.10.2025 **ऑपरेशन कन्विक्शन** **थाना- महावन**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर वादी के भाई की हत्या कर शव एवं मो0सा0 को खेत मे छुपा देने वाले मुख्य अभियुक्त इन्द्रजीत उर्फ छोटू सिहं को आजीवन कारावास एवं 12000/- रूपये तथा अभियुक्तगण नीटू उर्फ नीतेश व बबलू को आजीवन कारावास एवं 11000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था। मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से **थाना महावन जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 202/2022 धारा 302/201/34/404 आईपीसी** में आज दिनांक 03.10.2025 को माननीय न्यायालय ए0डी0जे0-06 जनपद मथुरा द्वारा इस प्रकरण में विचरण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर **अभियुक्तगण इन्द्रजीत उर्फ छोटू पुत्र बच्चू** को आजीवन कारावास एवं 12000/- रूपये तथा **नीटू उर्फ नीतेश पुत्र बच्चू व बबलू पुत्र बच्चू निवासीगण नगला देवकरन थाना महावन जनपद मथुरा** को आजीवन कारावास एवं 11000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

घटना क्रमः- दिनांक 07.09.2022 को थाना महावन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 202/2022 धारा 302/201/34/404 आईपीसी अभियुक्तगण इन्द्रजीत उर्फ छोटू पुत्र बच्चू, नीटू उर्फ नीतेश पुत्र बच्चू व बबलू पुत्र बच्चू निवासीगण नगला देवकरन थाना महावन जनपद मथुरा द्वारा वादी के भाई की हत्या कर शव व मोटर साइकिल को खेत में छिपा देने की घटना कारित की थी। इस जघन्य अपराध में भौतिक/वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किये गये एवं आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण को सजा दिलाने में मथुरा पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

महत्वपूर्ण योगदान

श्री हेमेन्द्र भारद्वाज
ADGC, मथुरा

निरीक्षक श्री अरविन्द सिंह
विवेचक

पैरोकार/हैड कांस्टेबल
शिशुवेन्द्र, थाना महावन मथुरा